सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 29
08/01/2019

राजभवन में वित्तीय सलाहकारों एवं वित्त पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

पटना, 08 जनवरी 2019

महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति श्री लाल जी टंडन के निदेशानुरूप आज राजभवन सभागार में राज्य के विश्वविद्यालयों के वित्तीय सलाहकारों एवं वित्त अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

समीक्षा के दौरान विश्वविद्यालयों में गेस्ट फेकेल्टी की नियुक्ति एवं उनके लिए निर्धारित मानदेय–राशि हेतु अपेक्षित आबंटन–स्थिति पर विचार किया गया। बैठक में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों द्वारा 'नैक प्रत्ययन' (NAAC Accreditation) की तैयारियों को लेकर अपेक्षित आबंटन–स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में सेवांत लाभ के मामलों के निष्पादन, 'GeM' द्वारा सामग्रियों की खरीददारी तथा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों द्वारा रोकड़–बही के समुचित संधारण की भी समीक्षा हुई। शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन–सत्यापन तथा 'RTGS' के जरिये इनको डिजिटल वेतन–भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि कई विश्वविद्यालयों में निदेश के बावजूद कॉलेज के बर्सरों की नियमित बैठकें नहीं हुई हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों को आगामी शुक्रवार (11 जवनरी, 2019) तक बर्सरों की बैठक हर हालत में करते हुए प्रतिवेदित करने को कहा गया। सभी वित्तीय सलाहकारों एवं वित्त पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया कि विश्वविद्यालय एवं सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में वित्तीय मामलों का सम्पूर्णता एवं गहराई से जाँच करते हुए आगामी 15 जनवरी तक 'ATR' (Action Taken Report) हर हालत में राजभवन भेज दें।

बैठक में अधिकारियों को कहा गया कि सभी वित्तीय सलाहकार एवं वित्त अधिकारी 2–2 कॉलेजों का निरीक्षण करें एवं अपना विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन इस माह के अंत तक राजभवन उपलब्ध करा दें। राजभवन निरीक्षण किये जानेवाले कॉलेजों की सूची दोनों निरीक्षण–पदाधिकारियों को शीघ्र उपलब्ध करा देगा।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 'पेंशन–अदालतों' के जरिये सेवांत लाभ के मामलों, खासकर उपार्जितावकाश के समतुल्य राशि के भुगतान को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आवश्यक जाँच हेतु राजभवन के अधिकारियों की भी टीमें विश्वविद्यालयों का दौरा करेंगी।

बैठक में महामहिम के निदेशानुरूप सेवांत लाभ के मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु यह भी निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त शिक्षकों या शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवांत लाभ के वैसे मामले, जो 'वेतन सत्यापन' नहीं हो पाने के कारण लंबित हैं, उनपर सभी विश्वविद्यालय विशेष ध्यान देंगे एवं वेतन–सत्यापन की कार्रवाई अविलम्ब कराते हुए मामले को अंतिम रूप से निष्पादित करायेंगे।

'GeM' के जरिये सामग्रियों के क्रय की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बी॰आर॰ए॰ बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा एवं बी॰एन॰ मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा ने इस काम में बेहतर प्रदर्शन किया है। अन्य विश्वविद्यालयों को भी 'GeM' के जरिये ही प्राथमिकतापूर्वक सामग्रियों की खरीददारी के निदेश दिए गये।

बैठक में सभी वित्तीय सलाहकारों एवं वित्त पदाधिकारियों को कहा गया कि राजभवन के निदेशों के अनुपालन में शिथिलता या लापरवाही बरतने पर इन अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कारवाई की जायेगी।

बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) श्री फूलचन्द चौधरी, संयुक्त सचिव, श्री विजय कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी (विश्व॰) श्री अहमद महमूद सहित राज्यपाल सचिवालय के अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

.....